

सूचना एम.बी.बी.एस. नीट यू.जी. राज्य स्तरीय (स्टेट) काउंसलिंग 2025-26 में प्रवेश हेतु
उपस्थित अभ्यर्थियों के लिये
शासन द्वारा लागू (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) के संबंध में सूचना

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हेतु)

1. योजना हेतु अभ्यर्थी को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी के पास अनुसूचित जाति वर्ग का स्थायी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
3. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा का बंधन राज्य शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
4. योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करने हेतु कक्षायेँ प्रारंभ होने के उपरांत MPTASS SCHOLARSHIP PORTAL पर पंजीयन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन भरकर प्रस्तुत करना होगा।


(नोडल अधिकारी)

छात्रवृत्ति शाखा
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय


(नोडल अधिकारी) 19/8/25

नीट यू.जी. काउंसलिंग 2025-26
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय